

प्रेषक

**राज्य शिक्षा परिषद,  
विश्व विद्यापीठ,  
मुंबई**

सेवा में

**राज्य शिक्षा परिषद,  
विश्व विद्यापीठ,  
मुंबई**

शिक्षा 171 अनुभाग

मंजूर दिनांक: 7 / 8 / 2003

विषय:-

**राज्य शिक्षा परिषद द्वारा जारी अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी संश्लेषण हेतु अनार्षित प्रमाण का भेजे जाने के संबंध में।**

संबंधित,

**राज्य शिक्षा परिषद की जारी अध्यापक नियुक्ति संबंधी सूची के अंतर्गत जारी की गई अनार्षित प्रमाण का भेजे जाने के संबंध में।**

संबद्धता हेतु अनार्षित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनार्षित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सॉसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाजिमेन्शन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- 151 संस्था अधिकार स्व विद्यार्थी कर्मचारियों को राजकीय सहयता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों से अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा की गारंटी जयेंगी और उन्हें सहयता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समाज पर जो भी अटिशन निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेंगा ।
- 191 उक्त कर्तव्यों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्देशन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेंगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की युक्तियुक्त स्थिति बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनिवारित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा ।

भवदीय,

**अध्यापक उपाधीन**  
**विद्यालय**

पू०सं०- 111/15-7-सहायता

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सुचार्थ स्व आवश्यक कार्याधीन हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **लखनऊ** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **लखनऊ** ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **भारतीय संयुक्त शिक्षण संस्था, लखनऊ** ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

**अध्यापक उपाधीन**  
**विद्यालय**